पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 8844/अका./का.प./2006 रायपुर, दिनांक : 25.08.2006

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक सोमवार, दिनांक 14.08.2006 को पूर्वान्ह 11:00 बजे कुलपति कक्ष में आयोजित हुई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुयेः

१.	डॉ लक्ष्मण चतुर्वेदी, कुलपति	अध्यक्ष
२.	डॉ एच.व्ही.तिवारी	सदस्य
३.	डॉ एम.ए.खान	सदस्य
४.	डॉ शशिभूषण	सदस्य
५.	डॉ.जी.डी.साव	सदस्य
६.	डॉ जी.बी.गुप्ता	सदस्य
७.	डॉ.ए.के.बंसल	सदस्य
८.	श्री रमेश नैयर	सदस्य
९.	डॉ हेमलता महोबे	सदस्य
१०.	प्रो.रामखिलावन गुप्ता	सदस्य
११.	श्री के.के.चंद्राकर, कुलसचिव	सचिव

कार्यवृत्त

1. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 13.06.2006 एवं 27.07.2006 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 13.06.2006 एवं 27.07.2006 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि निम्नलिखित संशोधन के साथ की गई– **(१) दिनांक १३.६.२००६ की बैठक की कार्यसूची क्रमांक १, बिंदु क्रमांक २ एवं ३ में लिये गये निर्णय एवं डॉ.हर्षवर्धन तिवारी द्वारा अनेक पत्रों के संदर्भ में डॉ.तिवारी कुलाधिसचिव से मिलकर विस्तृत चर्चा करें तत्पश्चात् संबंधित बिंदुओं पर अंतिम निर्णय हेतु कुलपति कक्ष में कुलसचिव की उपस्थिति में पुनः चर्चा कर अंतिम रूप दिया जावे। (२) कार्यसूची क्रमांक १ बिंदु क्रमांक ५ में अधिनियम, परिनियम, विनियम एवं अध्यादेश की अद्यतन प्रतिलिपि कार्यपरिषद के सभी सदस्यों को अकादमिक विभाग द्वारा १५ दिवस के अंदर उपलब्ध करावें। अधिनियम, परिनियम, विनियम एवं अध्यादेश की अद्यतन प्रतिलिपि १५ दिवस के अंदर उपलब्ध नहीं होने पर सदस्यगण कुलपति को इस संबंध में जानकारी दे सकते है। (३) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी महाविद्यालयों में जिन्हें विश्वविद्यालय प्रतिनिधि नामांकित किया गया है, नामांकित सदस्य कितनी बैठकों में उपस्थित हुये है, तथा सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा परिनियम २८ के परिपालन करने के संबंध में विस्तृत जानकारी नियमित रूप से कुलपति को लिखित में अवगत करावें। (४) अकादमी विभाग प्रत्येक महाविद्यालय का रिकार्ड संधारण करें तथा नियमित निरीक्षण करावें ताकि विश्वविद्यालयीन नियमों का जो महाविद्यालय पालन नहीं कर रहे है उन पर कार्यवाही के लिये निर्णय लिया जा सके।**

(कार्यवाही- अकादमिक विभाग)

2. डॉ. ओ.पी. व्यास, कम्प्यूटर विभाग एवं डॉ. संजय तिवारी, इलेक्ट्रानिकी विभाग की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत के संबंध में कार्यपरिषद सदस्य प्रो. एच.व्ही. तिवारी के पत्र के संदर्भ में विचार करना ।

निर्णय निर्णय लिया गया कि उक्त दोनों नियुक्तियों के संबंध में प्रकरण महामहिम कुलाधिपति के पास विचाराधीन है। अतः कार्यपरिषद में इन पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है। कार्यपरिषद को यह सूचना दी गई कि डॉ. संजय तिवारी के प्रकरण पर विचारोपरान्त महामहिम कुलाधिपति ने इसे नस्तीबद्ध करने का आदेश दिया है।

(कार्यवाही- प्रशासन विभाग)

3. कु. शिखा विश्वकर्मा, शोधछात्रा, कम्प्यूटर साइंस के द्वारा डॉ. ओ.पी. व्यास (शोध निर्देशक), विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अ.शा., पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के विरूद्ध लिखित शिकायत एवं जाँच समिति द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन पर विचार करना ।

निर्णय कु.शिखा विश्वकर्मा, शोधछात्रा, कप्युटर साइंस द्वारा डा.ओ.पी.व्यास (शोध निदेशक) के विरूद्ध दिनांक १२.७.२००६ को प्रस्तुत शिकायत में उल्लेखित तथाकथित आपराधिक प्रकृति की घटना को समुचित साक्ष्य के अभाव में तथ्यहीन प्रमाणित हुई।

२. जांच समिति की अनुशंसानुसार कु.शिखा विश्वकर्मा का शोध पंजीयन तिथि ५.७.२००३ (जो शोध उपाधि समिति की बैठक में तय की गई है) को मान्य किया गया। परिणामतः शोध आवेदन (शुल्क सहित) प्रस्तुत करने की तिथि १०.७.२००२ मान्य नहीं रहा।

३. जांच प्रक्रिया के दौरान शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंध की हार्ड एवं साफ्ट कापी की एक प्रति शोध निदेशक को भेजी जावे। यह सूचना कु.शिखा विश्वकर्मा को भेजी जावे।

(कार्यवाही- अकादमिक विभाग)

4. डॉ. ए.के. बंसल, प्राचार्य, भानूप्रतापपुर शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर से प्राप्त पत्र कमांक 644/2006, दिनांक 16.05.2006 (प्रतिलिपि संलग्न) पर विचार करना ।

निर्णय प्रकरण पर निर्णय लिया गया कि इस संबंध में अंकेक्षण विभाग का अभिमत प्राप्त कर लिया जावे।

(कार्यवाही- वित्त विभाग)

5. श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, भिलाई को बी.सी.ए. में 60 सीट स्वीकृत किये जाने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय निर्णय लिया गया कि संबंधित अध्यादेश का पालन किया जावे एवं वर्ष २००६ में जो प्रवेश दिया गया है, उसे मान्य किया जावे तथा अध्यादेश के अनुसार आगामी सत्र में प्रवेश दिया जावे। साथ ही साथ अध्यादेश में संशोधन की कार्यवाही भी किया जावे।

(कार्यवाही- अकादमिक विभाग)

6. स्वामी स्वरूपानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, आमदी नगर, हुडको, भिलाई द्वारा बी.एड. शिक्षकों के स्टाफ प्रोफाइल में विश्वविद्यालय प्रशासन को गलत जानकारी देकर अनुमोदन लेने के संबंध में विचार करना ।

निर्णय प्रकरण पर कार्यवाही हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

(कार्यवाही- अकादमिक विभाग)

7. श्री अब्दुल सत्तार, शोधछात्र, प्रौढ़ सतत् शिक्षा एवं विस्तार विभाग को शोधकार्य के लिए एक वर्ष की वृद्धि दिये जाने के सम्बन्ध में विचार करना ।

निर्णय प्रकरण को अमान्य करते हुए निर्णय लिया गया कि शोधछात्र को पुनर्पंजीयन के लिये सूचित किया जावे।

(कार्यवाही- अकादमिक विभाग)

8. विश्वभारती इंस्टीट्यूट, रायपुर द्वारा सत्र 2005–06 में केवल बी.एड. उत्तीर्ण अध्यापकों द्वारा बी. एड. पाठ्यक्रम का अध्यापन कराये जाने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय **प्रकरण पर निर्णय लिया गया कि संबंधित महाविद्यालय को चेतावनी दी जाय कि भविष्य में परिनियम २८ का पालन सुनिश्चित करें तथा जो भी कार्यवाही करें परिनियम २८ में उल्लेखित निर्देशों के अनुसार करें।**

(कार्यवाही- अकादमिक विभाग)

9. अध्यादेश कमांक 77– Aमें संशोधन पर विचार करना।

टीप :– अध्यादेश कमांक 77– Aके कंडिका–6 के अनुसार प्रॉक्टर को प्रतिमाह रू. 200/– एवं ज्वाइंट प्रॉक्टर को रू. 100/– प्रतिमाह भत्ता दिये जाने का प्रावधान है। उक्त अध्यादेश दिनांक 19. 12.1979 को पारित किया गया है और वर्तमान में प्रचलित है ।

प्रॉक्टर के पद पर डॉ. रमेन्द्रनाथ मिश्र एवं ज्वाइंट प्रॉक्टर के पद पर डॉ. जवाहर लाल तिवारी को नियुक्त किया गया है । कार्यपरिषद के निर्णय 04.10.2005 के अनुसार प्रॉक्टर को रू. 1000/– प्रतिमाह मानदेय दिये जाने का निर्णय हुआ है । इसी प्रकार ज्वाइंट प्राक्टर का रू. 500/– मानदेय प्रतिमाह दिया जाना प्रस्तावित है। परन्तु सर्वप्रथम अध्यादेश कमांक 77– A की कंडिका–6 में संशोधन किया जाना उचित होगा ।

निर्णय ज्वाइंट प्राक्टर को रू. 500/– मानदेय प्रतिमाह दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुये अध्यादेश कमांक 77–। की कंडिका–6 में संशोधन करने की अनुशंसा की गई।

(कार्यवाही- प्रशासन विभाग)

10. विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 29.07.2006 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना ।

टीप : विद्या परिषद की स्थायी समिति की उक्त बैठक दिनांक 29.07.2006 के निर्णय कमांक–2(1) एवं 2(4) के अनुसार काम्पटेक महाविद्यालय, धमतरी एवं कचना धुरूवा महाविद्यालय, छुरा का पुनर्निरीक्षण कराया गया । निरीक्षण हेतु प्रो. आर.एन. मिश्र, प्रो. एस.के. मिश्र, प्रो. ए.के. वर्मा, डॉ. संजय तिवारी एवं डॉ. बी.एस. ठाकुर की एक समिति बनायी गई थी जिनसे प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार सत्र 2006–07 में काम्पटेक महाविद्यालय, धमतरी में संचालित पाठ्यकम बी.सी.ए. भाग–एक हेतु 15 तथा पी.जी.डी.सी.ए. हेतु 10 स्थानों की अनुशंसा की गई है । इसी प्रकार कचना धुरूवा महाविद्यालय, छुरा में संचालित पाठ्यकम डी.सी.ए. हेतु 15 तथा पी.जी.डी.सी.ए. हेतु 15 स्थानों की अनुशंसा महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधानुसार की गई है।

निर्णय **सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।**

(कार्यवाही- अकादमिक विभाग)

11. रसायनशास्त्र अध्ययन शाला के निष्क्रिय एवं अनुपयोगी उपकरणों कुल मूल्य रू. 24,46,698.98 का अपलेखन करने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय रसायनशास्त्र अध्ययन शाला के निष्क्रिय एवं अनुपयोगी उपकरणों कुल मूल्य रू. 24,46,698.98 का अपलेखन करने के लिये अपलेखन समिति की अनुशंसा का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही- विकास विभाग)

12. प्रो. हर्षवर्धन तिवारी, विभागाध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक्स अ.शा., पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा लिखित पत्र दिनांक 21.07.2005, 29.08.2005, 14.10.2005, 19.10.2005, 10.05.2006, 03. 06.2006(2) एवं 12.06.2006 पर विचार करना ।

निर्णय प्रो. हर्षवर्धन तिवारी, विभागाध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक्स अ.शा., पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा लिखित पत्र दिनांक 21.07.2005, 29.08.2005, 14.10.2005, 19.10.2005, 10.05.2006, 03.06.2006(2) एवं 12.06.2006 के संबंध में डा.तिवारी **कुलाधिसचिव से मिलकर प्रकरण पर विस्तृत चर्चा करें तत्पश्चात् संबंधित बिंदुओं पर अंतिम निर्णय हेतु कुलपति कक्ष में कुलसचिव की उपस्थिति में पुनः चर्चा कर अंतिम रूप दिया जावे।**

(कार्यवाही- अकादमिक एवं कुलाधिसचिव विभाग)

13. मेसर्स स्वराज हैण्डमेड पेपर कालपी से वाटर मार्क डिग्री पेपर की गुणवत्ता सही नही होने पर भुगतान में देरी की जॉच के संबंध में कार्यपरिषद के निर्णय दिनांक 25.3.2006 के आधार पर जांच प्रतिवेदन के संबंध में ।

निर्णय **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भविष्य में** मेसर्स स्वराज हैण्डमेड पेपर कालपी से वाटर मार्क डिग्री पेपर कय नहीं किया जावे। भुगतान पूर्व आवश्यक कटौती के निर्धारण करने हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

(कार्यवाही- विकास विभाग)

14. 42 वां वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 1.7.2005 से 30.6.2006 तक तैयार किये जाने हेतु दिशा निर्देश के संबंध में।

निर्णय **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** 42 वां वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 1.7.2005 से 30.6.2006 तक डॉ.एच.व्ही.तिवारी **कार्यपरिषद सदस्य द्वारा निर्धारित बिंदुओं के अनुसार संबंधितों से संकलन कर समिति के निर्देशानुसार तैयार किया जावे।**

(कार्यवाही- प्रशासन विभाग)

15. मेसर्स आफसेट प्रिटिंग हाउस, सतना से उच्च गुणवत्ता वाले कम्प्यूटराइज्ड डिग्री मुद्रण कराने की अनुमति बाबत् ।

निर्णय मेसर्स आफसेट प्रिटिंग हाउस, सतना से उच्च गुणवत्ता वाले कम्प्यूटराइज्ड डिग्री मुद्रण कराने हेतु केंद्रीय कय समिति की अनुशंसा का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही- विकास विभाग)

16. बजट पुनर्नियोजन के संबंध में विचार करना।

टीप – कुलपति जी के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, डॉ. अशोक प्रधान ने वि.वि. बजट प्रावधान ए–24 से निम्न राशियों की मांग की है –

1. गेस्ट हाउस विकास – अतिरिक्त प्रावधान 1 लाख रू.
2. शिक्षक आवास – अतिरिक्त प्रावधान 1 लाख रू.
3. कुलपति निवास – नया प्रावधान 1 लाख रू.
4. बाल उद्यान – नया प्रावधान 1 लाख रू.
5. महिला उद्यान – नया प्रावधान 1 लाख रू.

कुल रू. 5 लाख दिये जाने पर स्टेबलिसमेंट आफ एकाडेमिक स्टाफ कॉलेज ए–24 में 25 लाख रू. से घट कर शेष 20 लाख रह जावेगें। कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय **सर्वसम्मति से उपरोक्त मदों में पुनर्नियोजन बजट हेतु अनुमोदन किया गया।**

(कार्यवाही- वित्त विभाग)

17. वि.वि. के अधोसंरचना विकास के लिए राज्य शासन से प्राप्त अनुदान की शेष अव्ययित राशि रू.14,16,672 निविदा अनुरूप भवन निर्माण का भुगतान हेतु डिपाजिट वर्क प्रकिया के अंतर्गत वि.वि. यंत्री को किये भुगतान की सूचना ग्रहण करना ।
अधोसंरचना निर्माण कार्य के लिए राशि डिपोजिट वर्क के अंतर्गत दिये जाने का प्रावधान है। स्पष्ट निर्देशो के साथ एवं वित्तीय प्रशासन, वि.वि. प्रशासन के पास रहने के शर्त पर ही डिपोजिट कार्य के लिए मद की शेष राशि 14,66,672 रू. है।

निर्णय **सर्वसम्मति से प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही का अनुमोदन करते हुये सूचना ग्रहण की गई।**
(कार्यवाही- वित्त विभाग)

18. बस्तर परिसर विकास हेतु राज्य शासन से प्राप्त अनुदान की शेष अव्ययित राशि रू. 64,77,188/- निविदा अनुरूप भवन निर्माण के अनुबंधित फर्म को भुगतान हेतु डिपॉजिट वर्क प्रक्रिया के तहत विश्वविद्यालय यंत्री डिपाजिट वर्क एकाउन्ट में भुगतान की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय **सर्वसम्मति से प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही का अनुमोदन करते हुये सूचना ग्रहण की गई।**
(कार्यवाही- वित्त विभाग)

19. वि.वि. के शिक्षण विभाग के सेमेस्टर कैलेन्डर के संबंध में ।

टीप – दिनांक 11.8.2006 की अधिष्ठताओं की मीटिंग में सेमेस्टर प्रणाली के लिए शैक्षणिक कैलेन्डर तैयार किए गये है। यह शैक्षणिक कैलेन्डर समन्वय समिति की 11 वीं बैठक दिनांक 27.4.2006 की परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है। जो सत्र 2006–07 हेतु निम्नानुसार है –

सेमेस्टर – 1

दिनांक 1 अगस्त से 30 नवम्बर	– प्रथम सेमेस्टर
दिनांक 1 दिसम्बर से 5 दिसम्बर	– प्रायोगिक परीक्षा
दिनांक 6 दिसम्बर से 15 दिसम्बर	– पूर्व परीक्षा अवकाश
दिनांक 16 दिसम्बर से 31 दिसम्बर	– प्रथम सेमेस्टर परीक्षा

सेमेस्टर अवकाश 1 जनवरी से 15 जनवरी

सेमेस्टर – 2

दिनांक 16 जनवरी से 15 मई	– द्वितीय सेमेस्टर
दिनांक 16 मई से 20 मई	– प्रायोगिक परीक्षा
दिनांक 21 मई से 31 मई	– पूर्व परीक्षा अवकाश
दिनांक 1 जून से 15 जून	– द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा

16 जून से 30 जून ग्रीष्मावकाश

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित संकायाध्यक्षों से चर्चा कर वि.वि. के शिक्षण विभाग के सेमेस्टर कैलेन्डर को अंतिम रूप देने हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया।
(कार्यवाही- अकादमिक विभाग)

20. कर्मचारियों की मांगों के संबंध में विचार करना ।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों के मांगों के संबंध में वित्त विभाग एवं अंकेक्षण विभाग से अभिमत प्राप्त कर लिया जावे एवं **कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।**
(कार्यवाही- प्रशासन विभाग)

21. कम्प्यूटर सेन्टर से प्राप्त देयक राशि 6,91,035.00 के भुगतान की अनुमति बाबत ।

निर्णय **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कार्य में हुई त्रूटियों के लिये देयक में आवश्यक कटौती करते हुये भुगतान करने का अनुमोदन किया गया।**
(कार्यवाही- गोपनीय, विकास, परीक्षा एवं वित्त विभाग)

22. वि.वि. कर्मचारी संघों के मांग क्रमांक –10 एवं 12 के संदर्भ पदोन्नति के संबंध में ।

निर्णय **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विधिक सलाहकार से अभिमत लिया जावे तद्नुसार प्रशासनिक निर्णय लिया जावे।**

(कार्यवाही- प्रशासन विभाग)

23. सेवानिवृत अधिकारियों को जॉच अधिकारी अथवा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किये जाने पर मानदेय/पारिश्रमिक दिये जाने के संबंध में विचार करना ।

निर्णय **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** सेवानिवृत अधिकारियों को जॉच अधिकारी अथवा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किये जाने पर मानदेय/पारिश्रमिक दिये जाने के संबंध में कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

(कार्यवाही- प्रशासन एवं वित्त विभाग)

24. वि.वि. बजट 2006–07 के क्र. C-vi-10 (V-SAT Networking) में प्रावधानित राशि रू.5.00 लाख को बढ़ाकर रू.10.00 लाख करने पर विचार करना । बढ़ी हुई राशि को पूर्ति C-vi-9 में प्रावधानित (Construction of Dome) राशि रू.20.00 लाख में से की जावेगी ।

निर्णय **कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।**

(कार्यवाही- वित्त विभाग एवं कम्प्यूटर अध्ययन शाला)

25. श्री श्रवण सिंह ठाकुर, नि.व.लि., साख्यिकीय अध्ययन शाला के वरिष्ठता सूची में संशोधन के संबंध में आवेदन ।

निर्णय **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित प्रकरण में कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 3/7/२००३ में लिये गये निर्णय की विस्तृत जानकारी के साथ कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।**

(कार्यवाही- प्रशासन विभाग)

26. वि.वि. के भवन निर्माण समिति के कार्यवृत्त पर विचार करना ।

निर्णय सर्वसम्मति से वि.वि. के भवन निर्माण समिति **की बैठक दिनांक १२.७.२००६ एवं १२.८.२००६ के कार्यवृत्त की अनुशंसा निम्नलिखित त्रुटियों में संशोधन के साथ अनुमोदन की गईः**

दिनांक १२.७.२००६ में संशोधन-

निर्णय क्र.१ पृष्ठ क्रमांक २ @17.96% के स्थान पर @18.96%

निर्णय क्र.२ पृष्ठ क्रमांक २ @17.96% के स्थान पर @18.89%

निर्णय क्र.५ पृष्ठ क्रमांक ४ @17.95% के स्थान पर @18.95%

निर्णय क्र.६ पृष्ठ क्रमांक ४ @17.95% के स्थान पर @18.95%

दिनांक १२.८.२००६ में संशोधन-

निर्णय क्र.२ पृष्ठ क्रमांक ७ @17.91% के स्थान पर @18.91%

(कार्यवाही- यांत्रिकी विभाग)

27. आवासीय अंकेक्षण विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005–06 पर कार्यवाही के पूर्व कार्यपरिषद द्वारा विचार किया जाना ।

निर्णय **कार्यालय उपसंचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा रायपुर से प्राप्त पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का वर्ष २००५-०६ का अंकेक्षण प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई एवं इसमें निहित आपत्तियों का निराकरण कराने हेतु पालन प्रतिवेदन भेजने के लिये कुलसचिव को अधिकृत किया गया। प्रो.हर्षवर्धन तिवारी कार्यपरिषद सदस्य के जानकारी में लाये जाने पर कि उन्हें पूर्व वर्ष के प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है उन्हें वर्ष २००४-०५ के अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।**

(कार्यवाही- वित्त विभाग)

28. अध्यापक शिक्षा संस्थान वि.वि. अध्ययन शाला में एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश संबंधी प्रावधान पर विचार करना ।

टीप विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक २५.१०.२००५ में अध्यापक शिक्षा संस्थान वि.वि. अध्ययन शाला में एम.एड. पाट्यकम प्रारंभ करने की अनुशंसा का कार्यपरिषद की बैठक दिनांक १५.१२.२००५ में अनुमोदन किया गया। सत्र २००६-२००७ से एम.एड. प्रारंभ करने हेतु एन.सी.टी.ई. द्वारा गठित निरीक्षण समिति की अनुशंसा पर एन.सी.टी.ई भोपाल से संबंधित अधिकारी से कुलपति की दूरभाष पर चर्चा हुई। एन.सी.टी.ई भोपाल परिक्षेत्र के अधिकारी द्वारा दूरभाष पर ४० सीटों की अनुमति दिये जाने की सूचना दी एवं यह भी सूचित किया कि आदेश/अनुमति की प्रति शीघ्र विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जा रहा है एवं प्रवेश संबंधी कार्यवाही कर सकते है। तद्नुसार एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश तथा अन्य संबंधित विषयों के संदर्भ में आवश्यक प्रावधान निम्नानुसार प्रस्तावित है--

१. **अवधि** - एक वर्षीय पाठ्यक्रम

२. **प्रवेश पात्रता-**

अ. बी.एड.पाठ्यक्रम में ५५ प्रतिशत अंक प्राप्त प्रत्याशी प्रवेश हेतु पात्रता रखते है।

ब. प्रवेश राज्य शासन/विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित या तो बी.एड. पाठ्यक्रम में प्राप्त अंकों अथवा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रावीण्य सूची के आधार पर होगा।

स. एम.एड. पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ राज्य के निवासियों को ही प्रवेश दिया जाना है तथापि स्थान रिक्त रहने पर छत्तीसगढ़ के अन्य विश्वविद्यालयों/अन्य प्रदेशों के विश्वविद्यालय से आये छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने का प्रावधान प्रस्त्ञवित है।

३. **शिक्षण शुल्क/अन्य शुल्क-**

अ. शिक्षण शुल्क - रू.३०,०००/-

ब. अन्य शुल्क - विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रवेश के समय आवश्यक शुल्क्

स. शैक्षणिक भ्रमण शुल्क- रू.७००.०० (प्रवेश के समय देय)

इस पाठयक्रम के संचालन के लिये बजट प्रावधान निम्नानुसार प्रस्तावित है-

Estimate Budget 2006-07

RECEIPTS-

S.No.	Particulars		Amount
1 2 3	Tution Fee Excursion fee Caution Money Library	30000x40 700x40 500x40	12,00,000.00 28,000.00 20,000.00
		Total	12,48,000.00
4.	Other Fee (Payble to University Fund) i)Admission fee ii)Amalgamated fund iii)Physical welfare fee iv)Immigration fee (other univ) v) Enrolment Fee vi)Library annual fee vii)University administration fee viii)Student Aid fund ix) Identity card fee x) Student union fee xi) Annual Magazine fee xii) Transfer Certificate fee	 100.00 60.00 120.00 200.00 50.00 100.00 50.00 10.00 20.00 50.00 30.00 25.00	

	xiii) Library Development fee	100.00 915x40	36,600.00
		TOTAL	12,84,600.00

EXPENDITURE

S.No.	Particulars		Amount
1	Salary 5 teachers Rs.8000x5x10 months		4,00,000.00
2	Salary to Non-teaching staff i)Lab Attendent (3000x12 months) ii)Peon (3000x12 months)	36000.00 36000.00	72,000.00
3.	Excursion fee		28,000.00
4.	Caution money library		20,000.00
5.	Establishment expenditure		1,00,000.00
6.	Laboratory		1,00,000.00
7.	Library		50,000.00
8.	Other Contingency	TOTAL	1,50,000.00 9,20,000.00
	Saving (12,48,000 – 9,20,000)		3,28,000.00

निर्णय अध्यापक शिक्षा संस्थान वि.वि. अध्ययन शाला में एम.एड. पाट्यकम प्रारंभ करने का प्रस्ताव का **अनुमोदन किया गया। साथ ही इस हेतु प्रस्तावित बजट का भी अनुमोदन किया गया**

(कार्यवाही- अध्यापक शिक्षक संस्थान एवं वित्त विभाग)

29. वि.वि. के पुराने वाहनों की नीलामी बाबत् ।

निर्णय **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** वि.वि. के पुराने वाहनों की नीलामी **करने हेतु संबंधित से सलाह लेकर प्रक्रिया का पालन करते हुये निर्णय लेने हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया।**

(कार्यवाही- वाहन प्रकोष्ठ एवं विकास विभाग)

३०. विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र में स्थापित पैथोलॉजी लेब में परीक्षण के लिये निर्धारित शुल्क पर विचार करना।

निर्णय **सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र में स्थापित पैथोलॉजी लेब में परीक्षण के लिये प्रस्तावित शुल्क का अनुमोदन किया गया। ।**

(कार्यवाही- विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र एवं वित्त विभाग)

31. बस्तर परिसर के इम्प्रेस्ट की राशि रू.5000/- से रू.25000/- करने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय **सर्वसम्मति से प्रशासन के द्वारा की गई कार्यवाही का अनुमोदन करते हुये सूचना ग्रहण की गई।**

(कार्यवाही-समन्वयक बस्तर परिसर एवं वित्त विभाग)

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

३२. पी.जी.डिप्लोमा इन क्रीमिनालॉजी एण्ड फोरेंसिक साइंस पाठ्यक्रम के लिये प्रस्तावित बजट का अनुमोदन करना।

निर्णय **सर्वसम्मति से अनुमोदित की गई।**

(कार्यवाही- मानवशास्त्र अध्ययन शाला एवं वित्त विभाग)

३४. विकास महाविद्यालय, रायपुर के प्राचार्य पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करना।

निर्णय **विकास महाविद्यालय, रायपुर के प्राचार्य पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक १९.७.२००६ में डॉ तपन कुमार साहू के नाम की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।**

(कार्यवाही- अकादमिक विभाग)

३५. विश्वविद्यालय अध्ययन शाला में कार्यरत शिक्षकों के कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत् पदोन्नति देने विषयक।

निर्णय **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार प्रत्येक वर्ष कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत शिक्षकों की पदोन्नति के लिये स्व-मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा आवेदन दिनांक १५ सितम्बर २००६ तक आमंत्रित किया जावे तथा समस्त कार्यवाही ग्रीष्म अवकाश के पूर्व पूर्ण कर ली जावे। यह प्रथा प्रत्येक वर्ष के लिये लागू किया जावे।**

(कार्यवाही- प्रशासन विभाग)

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित निर्णय भी लिये गये-

1. **बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यक्रम में ई-लरनिंग को सम्मिलित किया जावे।**

(कार्यवाही- अकादमिक विभाग)

२. **विश्वविद्यालय से संबंधित पेंशन प्रकरणों के संबंध में सक्षम अधिकारी से चर्चा कर शीघ्रताशीघ्र पेंशन शिविर का आयोजन किया जाये।**

(कार्यवाही- वित्त विभाग)

३. **कार्यपरिषद की आगामी बैठक सितम्बर २००६ के अंतिम सप्ताह एवं इसके पश्चात् ३० अक्टूबर २००६ को कार्यपरिषद की बैठक आयोजित की जावे।**

(कार्यवाही- अकादमिक विभाग)

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ ही कार्यपरिषद की बैठक सम्पन्न हुई।

कुलपति Khatuwal 14-8-06 — Ca... 14.8.2006 कुलसचिव

पृ.क्रमांक : 8845/अका./का.प./2006 — रायपुर, दिनांक 25.08.2006

प्रतिलिपि :-

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.) ।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ कि यदि कार्यवृत्त में कोई त्रुटि हो तो इसकी जानकारी कार्यवृत्त जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करने का कष्ट करें ।
3. उपकुलसचिव–परीक्षा/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी–गोपनीय,
4. विभाग प्रमुख, प्रशासन/विकास,
5. वित्ताधिकारी,
6. आवासीय अंकेक्षक,
7. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उपकुलसचिव (अका.)